मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2011 (फाल्गुन 20, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बलिराम कश्यप, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मंत्री एवं संसद सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गए। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामलखन सिंह, लक्ष्मण तिवारी, पारस सकलेचा, अंतर सिंह आर्य एवं खुमान सिंह शिवाजी, सदस्यगण ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर, शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई। तत्पश्चात्, पूर्वाह्न 10.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही स्थगित होकर 10.54 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 6 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 94 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 110 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 18 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार -

(1) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की ग्राम पंचायत सिलधरा(पन्ना) के झाली एवं जनकपुर में बांध तथा तालाब का निर्माण करने,
(2) श्रीमती गीता रामजीलाल उईके, सदस्य की बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी में विद्युत संकट होने,
(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ में मनरेगा योजना के कार्यों का भुगतान सरपंचों को प्राप्त न होने,
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज में पेयजल संकट होने,
(5) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के ग्राम छतेरा में हाईस्कूल का उन्नयन न होने,
(6) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की इंदौर तथा सांवेर को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने,
(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के ग्राम सलमान्या में सड़क निर्माण की राशि ठेकेदार को न दी जाने,
(8) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा के बिरला ग्राम में दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या की जाने,
(9) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर में शराबियों द्वारा खुले-आम सड़कों पर शराब पीने,
(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम अदलीसपुरा में हैण्डपम्प न होने,
(11) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की परसवाड़ा (बालाघाट) में अध्यापन सामग्री क्रय में अनियमितता होने,
(12) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की रीवा व बायपुर कुर्च. में पेयजल संकट होने,
(13) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की भोपाल के ग्राम डंगरौली में रसोइया से छुआछूत की जाने,
(14) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश में घटिया किस्म की आईस्क्रीम आदि बेचे जाने,
(15) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष की सतना में पेयजल संकट होने,
(16) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य की लांजी में पंचायत संबंधी राशि का भुगतान न होने,
(17) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की देवरी बांध (छतरपुर) के पुल पर टोल-टेक्स की मनमानी वसूली करने तथा
(18) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की ग्राम पंचायत जुनवानी (मण्डला) के सिंचाई तालाब का गेट एवं पाईप लाईन फूटने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची में 14 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 4 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी एवं सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री के वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे। तद्नुसार -

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य अपूर्ण होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने वक्तव्य दिया।

5. अशासकीय कार्य संबंधी अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के कार्य के लिये नियत हैं। सदन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार इस सत्र के प्रत्येक शुक्रवार को भोजनावकाश नहीं होगा तथा सदन की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। अतः शासकीय कार्य पूर्ण होने के बाद ढाई घण्टे अशासकीय कार्य के लिए नियत किये जाते हैं, इसके बाद सदन स्थगित होगा।

6. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने मुरैना जिले के सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस के बंद होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(श्री रामनिवास रावत एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(3) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य ने रीवा जिले के मुरैठा-मोरहना प्रस्तावित मार्ग के स्थान पर नाउन-मोरहना मार्ग निर्माण किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया।

(4) श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य ने मुरैना जिले के ग्राम फूलपुर में डकैतों द्वारा लूट-पाट कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा संबंधित मंत्री के वक्तव्य :-

(5) श्री सुभाष कुमार सोजतिया तथा डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्यगण की मंदसौर जिले के ग्राम कोटड़ी टैंक स्थित वन भूमि में अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की रतलाम जिले में नील गायों द्वारा फसल नष्ट किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम तिन्दोखर में मध्यान्ह भोजन से कई बच्चे बीमार होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री अजय सिंह, सदस्य की प्रदेश के कृषकों को कृषि ऋणों पर ब्याज की छूट न मिलने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर में बिना जांच किये पेंशन प्रकरण निरस्त किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के जीरापुर क्षेत्र में पेयजल संकट संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(11) डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य की सतना जिले में खनिज परिवहन कर एवं रायल्टी की चोरी किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(12) श्री आरिफ अकील, सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम पठारी में अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(13) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में चिकित्सालय भवन के किराये का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खण्डवा जिले के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में घटिया सामग्री का उपयोग होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री मोहन शर्मा, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बावड़ीखेड़ा गनियारी,कासरोद,महुआ,काकरवाल,धनखेड़ी के माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन किये जाने,

(ख) नरसिंहगढ़ में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने तथा

(ग) ग्राम झालड़ा, जमोन्यागोप चौहान, लश्करपुर, पोपल्यासोड़ा के हाई स्कूलों का उन्नयन किये जाने,

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के -

(क) ग्राम बिलहरा में राजघाट बांध से पानी की आपूर्ति किये जाने,

(ख) नगर पंचायत राहतगढ़ के वार्डों में सड़क बत्ती कार्य कराये जाने,

(ग) ग्राम बरोदा सागर से मुख्य सड़क मार्ग तक सड़क निर्माण किये जाने तथा

(घ) ग्राम पंचायत जैसीनगर की पेयजल योजना चालू कराये जाने,

(3) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम आमला रोड़ से पान्दा मार्ग तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ख) देवकुआं महादेव मंदिर हेतु राशि स्वीकृत किये जाने तथा

(ग) सारंगपुर तहसील के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण किये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम ओछापुरा के हाईस्कूल का भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम बलावनी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम अर्रोद से किशनपुरा तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम निमोदामठ एवं फतेहपुर के मध्य सीप नदी पर रपटा निर्माण किये जाने तथा

(ङ) विजयपुर श्मशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार हेतु लकड़ी की व्यवस्था किये जाने,

(5) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मंडला जिले के -

(क) ग्राम कोको के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने तथा

(ख) ग्राम उमरिया एवं सिल्की के बीच कुढ़नेर नदी पर स्टाप डेम / रपटा बनाये जाने एवं

(6) श्री अलकेश आर्य, सदस्य की भोपाल जिले के ग्राम भौंरी से मुख्य सड़क तक सड़क निर्माण किये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

8. वर्ष 2011-12 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा दिनांक 10.3.2011 को प्रस्तुत की गई मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह

(2) श्री आरिफ अकील

सभापति महोदय (चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी) पीठासीन हुए।

(3) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

(4) डॉ. गोविन्द सिंह

(5) श्री मदन कुशवाह

(6) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(7) श्री ब्रजराज सिंह

(8) श्री अभय कुमार मिश्रा

(9) श्री श्रीकांत दुबे

(10) श्री सुदर्शन गुप्ता

(11) श्री नारायण सिंह पट्टा
(12) श्री ज्ञान सिंह
(13) श्री बालाराम बच्चन
(14) श्री लक्ष्मण तिवारी
(15) श्री पारस सकलेचा
(16) श्री मानवेन्द्र सिंह
(17) श्री राधेश्याम पाटीदार
(18) श्रीमती सुलोचना रावत
(19) श्री गौतम टेटवाल
(20) श्री रमेश दिलीप भटेरे
(21) श्री रणजीत सिंह गुणवान
(22) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़
(23) श्री राजकुमार उरमलिया
(24) श्री कमल पटेल
(25) श्री रामलखन सिंह
(26) श्री रामखेलावन पटेल
(27) श्री देवेन्द्र वर्मा
(28) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक हजार एक सौ चालीस करोड़, छियासी लाख, तिरासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए चार सौ निन्यानवे करोड़, सैंतालीस लाख, ग्यारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 34	सामाजिक न्याय के लिए एक सौ पच्चीस करोड़, सतहत्तर लाख, सतासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक हजार चार सौ सत्ताईस करोड़, बाईस लाख, अटठानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए एक सौ दो करोड़, बाईस लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 62	पंचायत के लिए एक सौ सोलह करोड़, तीस लाख, उनतीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 74	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए चार हजार छह सौ पच्चीस करोड़, एक लाख, ग्यारह हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 15	9
मांग संख्या - 30	1, 4, 6, 19, 22
मांग संख्या - 34	6, 15, 17
मांग संख्या - 52	-
मांग संख्या - 59	2
मांग संख्या - 62	2, 3, 13
मांग संख्या - 74	2

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इंदौर से मनमाड़ व्हाया बड़वानी नवीन रेल लाईन की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में की जावे".

सर्वश्री अंतर सिंह आर्य तथा बालाराम बच्चन, सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया ।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकृत हुआ।

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि प्रदेश में वृद्धाश्रम पर्याप्त संख्या में प्रारंभ किए जाकर उनका संचालन स्थल विकासखण्ड स्तर से कम न किया जाये".

सर्वश्री प्रताप ग्रेवाल तथा पारस सकलेचा, सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(3) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रतलाम-इंदौर-खण्डवा-अकोला मीटरगेज रेल लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाये"

श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011 (फाल्गुन 23, 1932) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 11 मार्च, 2011